हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 मई, 2011

संख्या 16/26/2011-3 पर्या०.—रसायन दुर्घटना (आपात् योजना, तैयारी और अनुक्रिया), नियम 1996 के नियम 8 के उप नियम (2) के साथ पठित उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मुख्य रसायन दुर्घटनाओं के बारे में कार्यवाही करने और रसायन दुर्घटनाओं का निपटान करने के लिए उच्च स्तरीय (एक्सपर्ट) मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु तथा उक्त नियमों में वर्णित कृत्य करने के लिए जिला पलवल में अग्रक (एपैक्स) निकाय के रूप में जिला संकटकालीन ग्रुप गठित करते हैं। जिला संकटकालीन ग्रुप में निम्नलिखित होंगे :-

1.	उपायुक्त, पलवल	अध्यक्ष
2.	सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा, पलवल	सदस्य सचिव
3.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, पलवल	सदस्य
4.	अग्निशमन अधिकारी, नगर परिषद्, पलवल	सदस्य
5.	जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, पलवल	सदस्य
6.	उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक)-कम-उप-नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, पलवल	सदस्य
7.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पलवल	सदस्य
8.	सिविल सर्जन, पलवल	सदस्य
9.	कार्यकारी अभियन्ता, नगर परिषद् या कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्, पलवल	सदस्य
10.	कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य), पलवल	सदस्य
11.	क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बल्लबगढ़ क्षेत्र (पलवल)	सदस्य
12.	उप-निदेशक, कृषि, पलवल	सदस्य
13.	वरिष्ठ सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, फरीदाबाद	सदस्य
	सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, फरीदाबाद	सदस्य
14.	महाप्रबन्धक, हरियाणा परिवहन, पलवल	सदस्य
15.	उपायुक्त, पलवल द्वारा मनोनीत किये जाने वाले व्यवसाय संघों का एक प्रतिनिधि	सदस्य
16.	उपायुक्त, पलवल द्वारा मनोनीत किया जाने वाला उद्योगों का एक प्रतिनिधि	सदस्य

जिला संकटकालीन ग्रुप के कार्य

(क) जिला आफ साइट आपात् योजना तैयार करने में सहायता।

(ख) जिला आफ साइट आपात् योजना तैयार करने के लिए मुख्य दुर्घटना खतरा-स्थापना के स्वामी द्वारा तैयार की गई सभी आन साइट आपात् योजनाओं की समीक्षा करना।

(ग) जिले के भीतर आने वाले स्थल पर रसायन दुर्घटनाओं के प्रबन्ध में जिला प्रशासन की सहायता करना।

(घ) प्रत्येक रसायन दुर्घटना का निरन्तर मानीटर करना।

(ङ) दुर्घटना स्थिति तथा अल्पीकरण प्रयासों के संबंध में जिले से केन्द्र तथा राज्य संकटकालीन ग्रुप तक निरन्तर सूचना प्रवाह सुनिश्चित करना।

(च) रसायन दुर्घटना की रिपोर्ट पन्द्रह दिन के भीतर राज्य संकटकालीन ग्रुप को भेजना, तथा

(छ) किसी स्थल पर प्रति वर्ष रसायन दुर्घटना की कम से कम एक पूरे पैमाने पर मॉक ड्रिल संचालित करवाना और योजना की सुदृढ़ता और कमियों की रिपोर्ट राज्य संकटकालीन ग्रुप को भेजना।

विजय वर्धन,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण विभाग।